

सेवा में ,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय ,
तहसील ,
जिला

विषय :— राजस्व खाते में चमार के स्थान पर मेघवाल करने हेतु .

महोदय ,

निवेदन है कि प्रार्थी आत्मज जाति मेघवाल निवासी
..... पटवार मंडल तहसील जिला का रहने वाला हूँ. प्रार्थी
की राजस्व रिकार्ड में जाति चमार दर्ज है . जबकि मेरी वास्तविक जाति मेघवाल है .

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 5(8) / राज-4 / 83 से राज.-6 / 96 जयपुर दिनांक 01-11-1996 के अन्तर्गत एवम
श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित किया गया है कि राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवम राजस्थान
भू—राजस्व भू—अभिलेख नियम 1957 के नियम 369 के अन्तर्गत उक्त अभिलेख में जाति
सम्बन्धित त्रुटियों को सम्बन्धित काश्तकारों को नोटिस देकर एवं सुनकर दुरुस्त करवाया जा सकता है .

अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकार्ड में चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज करने का आदेश फरमाने की कृपा करें .
प्रार्थी ,

श्री आ० श्री
जाति तहसील जिला (राज०)

जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी

प्रमाणित किया जाता है कि खातेदार श्री निवासी पटवार मंडल
..... के खाता संख्या पर रकबा भूमि अंकित है तथा इनके खाते में जाति
चमार लिखी हुई है जबकि आवेदक की वास्तविक जाति मेघवाल है . अतः प्रार्थी की जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज करने
का आदेश फरमाने की कृपा करें .

हस्ताक्षर पटवारी हल्का
पटवार मंडल

सिफारिश रिपोर्ट तहसीलदार

..... रिपोर्ट हल्का पटवारी के आधार पर खातेदार के खाता सं ० ग्राम पं०स०
तहसील में जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज करने की सिफारिश की
जाती है .

हस्ताक्षर
तहसीलदार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जिला

आदेश

क्रमांक : दिनांक
जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं सिफारिश तहसीलदार के अनुसार श्री आ० श्री
निवासी पटवार मंडल तहसील के खाता सं०
रकबा में दर्ज जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है .
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड